

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक:सा0- 2022/ मी0क्षे0/33/दिनांक,मीरजापुर,अक्टूबर 30, 2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय—

जनपद—सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत में रेनुसागर पावर कम्पनी के ऐश डिस्पोजल चार्ज के निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त कुल 126.27 हे० में से 61.2348 हे० आरक्षित वन भूमि के लीज के आगामी 10 वर्षों के लिए (21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नवीनीकरण का प्रेषण।

सन्दर्भ—

आपका पत्र संख्या 2384/11—सी एफ.पी./यू.पी./Others/39403/2019/दिनांक 18.06.2019

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव में पत्र में उल्लिखित कमियों/अभिलेखों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक 368/रेनुकूट/15—31,दिनांक 26.07.2019 तथा पत्रांक 1304/रेनुकूट/15—31 दिनांक 17.10.2019 द्वारा उल्लिखित बिन्दु की आख्या मय संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है:—

क० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या—2384/11—सी, /F.p./u.p.Others /39403/2019 लखनऊ दिनांक 18.06.2019 में अंकित विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु रिपोर्ट में भारत सरकार/राज्य सरकार के पत्रांक व दिनांक त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया प्रतीत होता है। अतः इसे संशोधित कर ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक 15 में भी संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग-2 क्रमांक- 15 पर संलग्न करा दिया गया है।
2	परियोजना में आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। अतः परियोजना में प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वन भूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये	इस बिन्दु के अनुपालन में बचतबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।

	जाने की बचनबद्धता प्रमाण-पत्र स्पष्ट रूप से संलग्न नहीं है।	
3	परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण-पत्र में एन0पी0वी0 की गणना की दर प्रस्ताव में उल्लिखित इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार नहीं है। अतः इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 दर का उल्लेख करते हुए लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न कर ऑनलाइन भाग-1 में अपलोड करें।	इस बिन्दु की अनुपालन में संशोधित लागत लाभ विश्लेषण संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग-1 में अपलोड करा दिया गया है।
4	एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की गणना की दर प्रस्ताव में उल्लिखित इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार नहीं है। अतः सही इको क्लास व हरियाली धनत्व के अनुसार सही एन0पी0वी0 की दर से संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में संशोधित एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कराते हुए ऑन लाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है।
5	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल को चिन्हित करा दिया गया है।
6	प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
7	हार्डकापी भाग-2 से संबंधित सभी 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित नहीं किया गया है अतः हार्डकापी भाग-2 से संबंधित सभी 13 बिन्दुओं का विवरण अंकित करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग-2 संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में बिन्दु संख्या-13 में विवरण अंकित कराते हुए संशोधित अभिलेख संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है।
8	प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर व मुहर अंकित है किन्तु उनके नाम अंकित नहीं किये गये है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण व वन विभाग के अधिकारियों के नाम अंकित करा दिया गया है।
9	प्रस्ताव में मूल लीज की सैद्धान्तिक स्वीकृत के पत्र दिनांक 21.11.1995 की छाया प्रति एवं	इस बिन्दु के अनुपालन में मूल लीज की सैद्धान्तिक स्वीकृति

	प्रथम लीज नवीनीकरण के सैद्धान्तिक स्वीकृत के पत्र दिनांक 13.02.2017 की सत्यापित छाया प्रति संलग्न नहीं है।	आदेश दिनांक 20.11.1995 व प्रथम लीज नवीनीकरण के सैद्धान्तिक स्वीकृत आदेश दिनांक 13.02.2017 की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करा दिया गया है।
10	पूर्व में ऑनलाइन अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्रों को ऑनलाइन से डिलिट करते हुए उपरोक्तानुसार संशोधित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में पूर्व में ऑनलाइन अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण प्रमाण-पत्रों को ऑनलाइन से डिलिट कराते हुए संशोधित प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करा दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत मामले की उल्लिखित बिन्दु की कमियों का निराकरण कर प्रेषित संशोधित प्रस्ताव 3 प्रतियों में एतद्सह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

संख्या 2032 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 26.07.2019, 23.09.2019 एवं 17.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

निरीक्षण टिप्पणी

प्रस्ताव संख्या एफ.पी./यू.पी./इण्डस्ट्री/39403/2019 पर जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० (रेनुसागर पावर डिवीजन) रेनुसागर सोनभद्र को ऐश डिस्पोजल यार्ड के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रदत्त 126.27 हे० वन भूमि में से हस्तान्तरित 61.2348 हे० आरक्षित वन भूमि को 10 वर्षों (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) नवीनीकरण के संबंध में-

दिनांक 13.08.2019 को उप प्रभागीय वनाधिकारी, पिपरी, रेनुकूट व रेनुसागर पावर डिवीजन के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्ताव में संलग्नक प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में उल्लिखित 61.2348 हे० वन भूमि को पुनः 10 वर्षों हेतु (दिनांक 21.06.2019 से 20.06.2029 तक) लीज पर लिया गया जाना प्रस्तावित है वह प्रस्तावित क्षेत्र की मांग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर